# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवम् पदेन सहायक कलक्टर श्रीगंगानगर

**पीठासीन अधिकारी :– सौरभ स्वामी** आई.ए.एस.

**राजस्व वाद संख्या :– 118/2014**

1. गुरसुखपाल सिंह पुत्र श्री गुरबलदेव सिंह जाति जटसिख उम्र 52 वर्ष निवासी 56 एफ तहसील श्रीकरनपुर जिला श्रीगंगानगर ।

– – वादी

## –:: बनाम ::–

1. गुरबलजीत सिंह पुत्र श्री गुरदयाल सिंह जाति जटसिख निवासी चक चीचा तहसील व जिला अमृतसर (पंजाब)।
2. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार, श्रीकरनपुर।
3. शिवजीतसिंह पुत्र गुरप्रहलादसिंह जाति जटसिख निवासी 15 एफ तहसील श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर।

– – प्रतिवादीगण

## दावा अन्तर्गत धारा 88, 188, 92ए आर.टी.ए. बाबत घोषणा एवम् स्थाई निषेधाज्ञा

## –:: उपस्थित अभिभाषकगण ::–

1. श्री प्रदीप सिहाग अधिवक्ता — वादी
2. श्री काशीराम रिणवा अधिवक्ता — प्रतिवादीगण

## –:: निर्णय ::–

दिनांक :– 23-1-15

वादी ने प्रतिवादीगण के विरूद्ध यह वाद अन्तर्गत धारा 88, 188, 92ए आर.टी.ए. के तहत इस न्यायालय में प्रस्तुत किया जिसका संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि वाके चक 56 एफ तहसील श्रीकरनपुर के खाता संख्या 22/24 सम्वत 2061–64 के मुरब्बा नम्बर 64 के किला नम्बर 1–10–11–12–19–20–21–22 प्रत्येक 0.253 हैक्टर कुल 2.023 हैक्टर यानि 8 बीघा नहरी भूमि प्रतिवादी संख्या 1 गुरबलजीत सिंह के नाम बतौर खातेदारी दर्ज कागजात माल है। नकल जमाबन्दी साथ पेश है। उक्त मुरबा नंम्बर 64 का नहरी विभाग में मुरब्बा नम्बर 65 है।

यह कि वादी व प्रतिवादी संख्या 1 के पूर्वज एक ही वंशज के है तथाप्रतिवादी संख्या 1 वादी का चाचा लगता है। वादी व वादी के परिवार की भूमि चक चीचा व चक नत्थूपुरा तहसील व जिला अमृतसर (पंजाब) में भी है तथा प्रतिवादी की भूमि भी चक चीचा व नत्थूपुरा पंजाब में है। प्रतिवादी संख्या 1 की रिहायश चक चीचा तहसील व जिला अमृतसर (पंजाब) में शुरू से ही है। प्रतिवादी शुरू से ही पंजाब में रहता है तथा वहीं निवास करता है। वादी व वादी के पूर्वज व परिवार की रिहायश चक 56 एफ तहसील श्रीकरनपुर में है।

वादी एवं प्रतिवादी व दोनों पक्षों के पूर्वजो व परिवार में सन् 1990 में घरू तबादला करके भूमि की काश्त की सहुलियत को देखते हुये वादी व वादी के परिवार की भूमि जो चक चीचा व नत्थूपुरा तहसील व जिला अमृतसर (पंजाब) में थी, वह भूमि प्रतिवादी संख्या 1 व प्रतिवादी 5 के परिवार को दे दी तथा जिसके बदले में प्रतिवादी संख्या 1 व प्रतिवादी के परिवार के नाम जो भूमि चक 56 एफ तहसील श्रीकरनपुर में थी वह भूमि प्रतिवादी व प्रतिवादी के परिवार ने वादी व वादी के परिवार को दे दी । इसी अनुसार वादी व प्रतिवादी व उनके परिवार, पूर्वज वर्ष 1990 से यानि 16–17 वर्षों से काबिज चले आ रहे है। इसी के अनुसार प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दावा की मद संख्या 1 में दर्ज उपरोक्त 8 बीघा नहरी

लगातार .....2

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्रीगंगानगर

Scanned by CamScanner

भूमि जेर बहस प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा मुझ वादी को तबादला में दी हुई है, जिस पर वर्ष 1990 से लेकर आज तक लगातार यानि गत 16–17 वर्षों से लगातार बेरोग–टोक वादी बतौर खातेदार शांतिपूर्वक काबिज चला आ रहा है तथा मौका पर वादी की फसल काश्त है।

वादी एवं वादी के परिवार की जो भूमि चक चीचा व नत्थूपुरा तहसील व जिला अमृतसर (पंजाब) में थी, उसका खातेदारी इन्तकाल प्रतिवादी व उनके परिवार द्वारा अपने नाम से राजस्व रिकार्ड पंजाब में दर्ज करवा लिया है। जिसका अमल दरामद प्रतिवादी व उनके परिवार के नाम से बतौर मालिक दर्ज हो चुका है। जबकि विवादित भूमि अभी चक 56 एफ अभी राजस्व रिकार्ड में प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से बतौर खातेदारी दर्ज है, जिसको वादी अपने नाम से खातेदारी दर्ज करवा पाने का अधिकारी है।

अराजी जैर बहस पर वादी का कब्जा काश्त सन् 1990 से लेकर आज तक लगातार बेरोक–टोक चला आ रहा है तथा उक्त रकबा की पानी की पर्चियां नहरी विभाग द्वारा जारी करके वादी को दी जाती रही है। तथा उक्त रकबा का मामला कर सरकारी तमाम वादी ही वर्ष 1990 से अदा करता आ रहा है। असल पानी की पर्चियां व मामला अदा करने की रसीदे वादी के कब्जा में है, जो वादी पेश कर रहा है।

अराजी जैर बहस पर प्रतिवादी संख्या 1 का कभी भी कब्जा नही रहा है। प्रतिवादी संख्या 1 गांव चीचा तहसील व जिला अमृतसर (पंजाब) में शुरू से निवास करता है। प्रतिवादी संख्या 1 की चक 56 एफ तहसील श्रीकरनपुर में कभी भी रिहायस नहीं रही है, तथा न ही प्रतिवादी संख्या 1 की मतदाता सूची या राशन कार्ड कभी 56 एफ तहसील श्रीकरणपुर में बना है। अराजी जैर बहस के खेत पड़ौसी तथा गांव व इलाके का आम आदमी वादी को ही अराजी जैर बहस का खोतदार मालिक मानता है। वादी का अराजी जैर बहस पर गत 17 वर्षों से यानि 12 वर्ष से अधिक का कब्जा काश्त लगातार शांति पूर्वक चला आ रहा है। वादी का कब्जा अराजी जैर बहस पर मुखालफाना कब्जा हो चुका है। प्रतिवादी ने अराजी जैर बहस का कब्जा लेने हेतु आज तक कभी किसी भी न्यायालय में कोई भी वाद पत्र प्रस्तुत नहीं किया है एवं प्रतिवादी का कब्जा लेने का अधिकार भी समाप्त हो चुका है। वादी अराजी जैर बहस का खातेदार हो चुका है तथा अपने आप को खातेदार घोषित करवा पाने का अधिकारी है।

चूंकि अराजी जैर बहस राजस्व रिकार्ड में प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज है। इसलिये प्रतिवादी अब कुछ रोज पूर्व इसका नाजायज फायदा उठाकर गांव 56 एफ तहसील श्रीकरनपुर में आकर सरेआम कहने लगा कि वह अराजी जैर बहस से वादी को जबरदस्ती बेदखल करके अराजी जैर बहस अन्य व्यक्ति को बेचान कर देगा। अगर ऐसा करने में प्रतिवादी सफल हो गया तो वादी के विधिक अधिकारों का हनन होगा तथा वादी को न पूरा होने वाला नुकसान होगा।

वादी ने आज से दो रोज पूर्व प्रतिवादी को कहा कि वह यानि वादी व वादी के परिवार की भूमि प्रतिवादी को पंजाब की भूमि दी जा चुकी है तथा विवादित भूमि प्रतिवादी ने वादी को दी हुई है। जिस पर वादी का कब्जा काश्त 1990 से लेकर आज तक लगातार शांतिपूर्वक चला आ रहा है। इसलिये वह उक्त भूमि का खातेदार अमल दरामद राजस्व रिकार्ड में वादी के नाम से दर्ज करवा देवें तथा यह भी कहा कि वह वादी के कब्जा काश्त में दखल न करे तथा भूमि जैर बहस को रहन बैय न करे। लेकिन प्रतिवादी कतई इन्कार हो गया और कहा कि मौका लगते ही वह वादी को भूमि जैर बहस से बेदखल करके भूमि जैर बहस अन्य व्यक्ति को मुन्तकिल कर देगा। यही विनाय दावा है, वादी दावा ला पाने का अधिकारी है।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्रीगंगानगर

लगातार .....3

Scanned by CamScanner

सारी भूमि राज्य सरकार में निहित हो चुकी है। इसलिये राज्य सरकार जरूरी फरीक मुकदमा होने के कारण राज्य सरकार को जरिये तहसीलदार श्रीकरनपुर फरीक मुकदमा बनाया गया है।

दावा वादी पूरे कोर्ट फीस पर अन्दर मियाद पेश है। दावा वादी काबिल समायत अदालतवाला है।

अतः दावा वादी खिलाफ प्रतिवादीगण पेश करके निवेदन है कि दावा वादी खिलाफ प्रतिवादीगण सादर डिक्री फरमाया जावे :–

(क) यह कि वादी को अराजी वाके चक 56 एफ तहसील श्रीकरनपुर के मुरब्बा नम्बर 64 के किला नम्बर 1–10–11–12–19–20–21–22 कुल 2.023 हैक्टर नहरी भूमि का खातेदार घोषित किया जाकर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किये जाने का आदेश व डिक्री प्रदान की जावे।

(ख) कि प्रतिवादी संख्या 1 के विरूद्ध स्थाई निषेधाज्ञा इस अमर की जारी फरमाई जावे कि वह अराजी जैर बहस में वादी के कब्जा काश्त में दखल अन्दाजी करने से या किसी अन्य व्यक्ति से करवाने से तथा वादी को जबरदस्ती बेदखल करने से एवं भूमि जैर बहस को किसी अन्य व्यक्ति को रहन, बैय या किसी भी प्रकार से मुन्तकिल करने से बाज व ममनु रहे।

(ग) कि अन्य कोई दादरसी करीने इन्साफ मुफीद वादी हो तो वह भी वादी को दिलाई जावे। खर्चा मुकदमा वादी को दिलाया जावे।

वाद दर्ज रजिस्टर किया गया प्रतिवादी को जरिये सम्मन तलब किया गया प्रतिवादी द्वारा जरिये अधिवक्ता जबाब दावा प्रस्तुत किया गया जिसके अन्तर्गत कथन किया कि अर्जीदावा की मद संख्या 1 इस हद तक स्वीकार है कि वाके चक 56 एफ तहसील श्री करनपुर के खाता संख्या 22/24 सम्वत् 2061–64 के मुरब्बा नम्बर 64 के किला नंम्बर 1, 10, 11, 12, 19, 20, 21, 22 प्रत्येक 0.253 हैक्टर कुल 2.042 हैक्टर यानि 8 बीघा नहरी भूमि प्रतिवादी संख्या 1 गुरबलजीत सिंह के नाम बतौर खातेदारी दर्ज कागजात माल है। शेष मद अस्वीकार है। यह कहना कतई गलत है कि उक्त मुरब्बा नंम्बर 64 का नहरी विभाग में मुरब्बा नम्बर 65 है।

अर्जीदावा की मद संख्या 2 इस हद तक स्वीकार है कि वादी व प्रतिवादी संख्या 1 के पूर्वज एक ही है तथा प्रतिवादी संख्या एक वादी का चाचा लगता है। शेष मद अस्वीकार है। यह कहना कतई गलत है कि वादी के नाम चक चीचा व नत्थूपूरा तहसील व जिला अमृतसर में कोई कृषि भूमि है। यह बात सही है कि प्रतिवादी 1 के नाम चक चीचा व चक नत्थूपुरा तहसील व जिला अमृतसर में लगभग 22–23 एकड़ कृषि भूमि है। यह कहना कतई गलत है कि प्रतिवादी संख्या 1 शुरू से ही पंजाब में रहता है तथा वहीं निवास करता है। वादी पूर्व में चक 56 एफ में निवास करता था और चक 56 एफ का ही निवासी है। प्रतिवादी संख्या 1 को पंजाब सरकार के हैल्थ डिपार्टमेन्ट में डॉक्टर की नौकरी मिल गई थी और प्रतिवादी संख्या 1 पंजाब सरकार के हैल्थ डिपार्टमेन्ट के पंजाब सिविल मैडिकल सर्विसेज क्लास वन के पद से रिटायर हुआ है। पंजाब सरकार की स्वास्थ्य विभाग की सेवा के दौरान प्रतिवादी संख्या 1 अमृतसर में निवास करता रहा है। प्रतिवादी संख्या 1 अपनी कृषि भूमि संभालने के लिये साल में दो तीन बार 56 एफ आया करता था।

प्रतिवादी संख्या 1 की आराजी प्रतिवादी के बड़े भाई गुरभगवन्त सिंह, गुअवतार सिंह आदि ठेका हिस्सा पर काश्त करते थे क्योंकि सरकारी सेवा में सेवारत होने के कारण प्रतिवादी संख्या 1 अपनी कृषि भूमि स्वयं काश्त नहीं कर सकता था और प्रतिवादी संख्या

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्रीगंगानगर

लगातार .....4

Scanned by CamScanner

के माता–पिता भी चक 56 एफ में निवास करते थे। प्रतिवादी संख्या 1 का बड़ा भाई गुरभगवन्त सिंह आज भी चक 56 एफ में निवास करता है एवं प्रतिवादी संख्या 1 का भाई गुरप्रताप सिंह भी चक 56 एफ में निवास करता था। जिसकी मृत्यु हो चुकी है। उसका छोटा बेटा गुरप्रहलाद सिंह 56 एफ में निवास करता है और अपनी कृषि भूमि काश्त करता है। प्रतिवादी संख्या 1 के नाम चक 56 एफ में मुरब्बा नम्बर 55, 57, 58, 62 की कुल 64–1/2 बीघा नहरी व बाग व खाला रकबा कुल सात हिस्सा की आराजी में से एक हिस्सा कृषि भूमि खातेदारी दर्ज थी। इसके अलावा प्रतिवादी संख्या 1 के नाम चक 56 एफ के मुरब्बा नम्बर 63 में 7 बीघा 16 बिस्वा नहरी व 4 बिस्वा खाल कृषि भूमि खातेदारी दर्ज थी और विवादित आराजी चक 56 एफ का मुरब्बा नम्बर 64 का किला नंम्बर 1, 10, 11, 12, 19, 20 ता 22 कुल 8 बीघा आराजी प्रतिवादी संख्या 1 के नाम आज भी खातेदारी दर्ज है। और उक्त आराजी आज भी प्रतिवादी संख्या 1 के कब्जा काश्त में है। यह कि अर्जीदावा की मद संख्या 3 गलत बयानी होने के कारण अस्वीकार है। यह कथन कतई गलत है कि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 के परिवार में सन् 1990 में जमीन का कोई घरू तबादला होकर कोई बंटवारा किया हो। यह कथन इस हद तक सही है कि प्रतिवादी संख्या 1 के परिवार की आराजी पिण्ड चीचा व पिण्ड नत्थूपूरा तहसील व जिला अमृतसर (पंजाब) में स्थित है। लेकिन उपरोक्त आराजी का तबादला एवं घरू बंटवारा सन् 1997–98 में हुआ था और सन् 1997–98 के तबादला से विवादित आराजी अलग रखी गई थी। विवादित आराजी के तबादले के संबंध में कोई फैसला नहीं हुआ था और तबादला से विवादित आराजी का कोई लेना–देना नहीं था। वादी का यह कथन कतई गलत है कि आज से करीब 16–17 वर्ष पूर्व से विवादित आराजी पर वादी का कब्जा चला आ रहा है। यह कथन कतई गलत है कि विवादित आराजी प्रतिवादी संख्या 1 ने वादी को तबादला में दी हुई है। यह कथन भी कतई गलत है कि सन् 1990 से लेकर आज तक वादी उपरोक्त आराजी पर काबिज चला आ रहा है तथा मौका पर वादी की फसल काश्त है। सही तथ्य इस प्रकार से है कि सन् 1997–98 में वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 के परिवार का चक 56 एफ, पिण्ड चीचा व पिण्ड नत्थूपूरा की आराजी का घरू बंटवारा किया गया था और घरू बंटवारा के अनुसार चक 56 एफ, चक चीचा व नत्थूपुरा की आराजी का आपस में तबादला एवं लेनदेन किया गया था। लेकिन उक्त बंटवारे में व तबादले से विवादित आराजी जो अर्जी दावा की मद संख्या 2 में दर्ज है उसको तबादले व घरू बंटवारे में शामिल नहीं किया गया था। विवादित आराजी घरू तबादले एवं बंटवारे की विषय वस्तु नहीं थी। विवादित आराजी अकेले प्रतिवादी संख्या 1 के नाम खातेदारी दर्ज है और किसी अन्य व्यक्ति का इस आराजी से कोई लेनादेना नहीं है। विवादित आराजी सन् 1990 में प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से खातेदारी दर्ज ही नहीं थी। विवादित आराजी प्रतिवादी संख्या 1 को दिनांक 29.8.1997 के तबादलानामा के आदेश श्रीमान तहसीलदार राजस्व श्री करनपुर के आदेश गुरप्रताप सिंह पुत्र गुरदयाल सिंह जाति जटसिख निवासी चक 56 एफ से प्राप्त हुई है। जिसका इन्तकाल संख्या 184 दिनांक 03.02.1998 है। सन् 1990 में उपरोक्त आराजी गैरसायल संख्या 1 के नाम खातेदारी दर्ज नहीं थी तो ऐसी सूरत में वादी का यह कथन स्वयमेव झूठा साबित होता है कि वादी सन् 1990 से उपरोक्त आराजी पर काबिज है। वादी के परिवार के नाम पिण्ड नत्थूपूरा एवं पिण्ड चीचा में लगभग 32 एकड़ भूमि थी और प्रतिवादी संख्या 1 के नाम चक 56 एफ की मुरब्बा नम्बर 55, 57, 58, 62 नहरी, बाग कुल 6–1/2 बीघा आराजी में से एक हिस्सा यानि करीबन 9 बीघा 5 विस्वा आराजी खातेदारी दर्ज थी एवं चक 56 एफ के मुरब्बा नम्बर 63 में 7 बीघा 17 विस्वा एवं 4 विस्वा खाल कुल 8 बीघा आराजी खातेदारी दर्ज थी। इस आराजी

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्रीगंगानगर

लगातार .....5

Scanned by CamScanner

कुल 17 बीघा 4 विस्वा आराजी का तबादला प्रतिवादी संख्या 1 ने वादी के भाईयों, बहनों, माता की पिण्ड चीचा व नत्थूपुरा में स्थित लगभग 35 एकड आराजी से किया था। पंजाब में स्थित वादी के परिवार की आराजी का तबादलानामा का इन्तकाल प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज हो चुका है। लेकिन राजस्थान व पंजाब की भूमि का कानूनन तबादला नहीं हो सकता, इसलिये पंजाब वाली जमीन के बदले प्रतिवादी संख्या 1 ने अपनी उपरोक्त 17 बीघा 4 विस्वा आराजी का रजिस्टर्ड बैयनामा गुरसुखपाल सिंह ने सगे भाई गुरसतपाल सिंह व गुरवरपाल सिंह पिसरान गुरबलदेव सिंह के पक्ष में बिना प्रतिफल के करवा दिया था और रजिस्टर्ड बैयनामा का तमाम खर्चा भी प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा वहन किया गया था। रजिस्टर्ड बैयनामा तबादला को मुख्य रखते हुये किया गया था। उसका कोई प्रतिफल प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा प्राप्त नहीं किया गया था और विवादित आराजी से इस तबादला का कोई लेनादेना नहीं था।

अर्जीदावा की मद संख्या 4 इस हद तक स्वीकार है, कि वादी एवं वादी के परिवार की चक चीचा एवं नत्थूपुरा की 3–1/2 एकड़ भूमि का खातेदारी इन्तकाल प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज हो चुका है। शेष मद अस्वीकार है। यह कथन कतई गलत है कि विवादित भूमि वादी अपने नाम खातेदारी दर्ज करवाने का अधिकारी है। सही तथ्य इस प्रकार से है कि प्रतिवादी संख्या 1 ने वादी के परिवार की 3–1/2 एकड पंजाब की कृषि भूमि के बदले में 17 बीघा 4 बिस्वा चक 56 एफ की भूमि का बिना किसी प्रतिफल के गुरसुखपाल के परिवार के नाम करवा दिया है और विवादित आराजी का उपरोक्त तबादला से कोई लेना देना नहीं है। विवादित भूमि तबादला से बाहर रखी गई है।

मद संख्या 5 गलत बयानी होने के कारण अस्वीकार है। यह कथन कतई गलत है कि विवादित आराजी पर सन् 1990 से लेकर वादी का कब्जा काश्त चला आ रहा है। यह कथन भी कतई गलत है कि उपरोक्त रकबा पानी की पर्चियां नहरी विभाग द्वारा वादी को दी जाती रही हो। यह कथन भी कतई गलत है कि विवादित आराजी के सरकारी लगान भी वादी द्वारा अदा किया गया हो। सही तथ्य इस प्रकार से है कि नहरी विभाग द्वारा जारी पानी की पर्चियां गुरदयाल सिंह के नाम से जारी की गई है। श्री गुरदयाल सिंह प्रतिवादी संख्या 1 का पिता है। वादी प्रतिवादी संख्या 1 का पारिवारिक व्यक्ति होने के कारण पानी की पर्चियां वादी के कब्जा में थी और मामला विवादित आराजी का प्रतिवादी संख्या 1 के द्वारा अदा किया गया है और मामला की पर्चियां भी पारिवारिक व्यक्ति होने के कारण वादी के पास थी। सन् 1990 में विवादित आराजी प्रतिवादी संख्या 1 के नाम खातेदारी दर्ज नहीं थी। सन् 1998 में प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज हुई है। इसलिये सन् 1990 से विवादित आराजी पर वादी का कब्जा होना झूठा साबित होता है।

मद संख्या 6 गलत बयानी होने के कारण अस्वीकार है। यह कथन कतई गलत है कि आराजी जेरबहस पर प्रतिवादी संख्या 1 का कभी कब्जा नहीं रहा है। यह कथन भी कतई गलत है कि प्रतिवादी संख्या 1 पिण्ड चीचा तहसील व जिला अमृतसर में शुरू से निवास करता है। यह कहना भी कतई गलत है कि चक 56 एफ तहसील श्री करनपुर में प्रतिवादी संख्या 1 की कभी रिहायश नहीं रही हो। यह कथन कतई गलत है, कि आराजी के खेत पडौसी व गांव के आदमी विवादित आराजी का मालिक वादी को मानते है। यह कथन भी कतई गलत है कि वादी का आराजी जेरबहस पर गत 17 वर्षों से यानि की 12 वर्ष से अधिक का कब्जा काश्त लगातार शान्ति पूर्वक चला आ रहा है। यह कथन भी कतई गलत है कि वादी का विवादित आराजी पर मुखालफाना कब्जा हो चुका है। यह कथन भी कतई गलत है कि विवादित आराजी पर प्रतिवादी संख्या 1 का खातेदारी अधिकार समाप्त हो चुका

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीगंगानगर

लगातार .....6

Scanned by CamScanner

है। यह कथन भी कतई गलत है कि वादी आराजी जेरबहस का खातेदार हो चुका हो एवं खातेदारी घोषित करवाने का अधिकारी हो। सही तथ्य इस प्रकार से है कि विवादित आराजी सन् 1997 को प्रतिवादी संख्या 1 को अपने भाई गुरप्रताप सिंह से तबादला से प्राप्त हुई है। इसलिए वादी का कथन झूठा साबित होता है कि उसका 17 वर्षों से उक्त आराजी पर कब्जा है। विवादित आराजी का कब्जा 13 अप्रैल 2006 को अपने भाई गुरभगवन्त से प्राप्त कर लिया था और उक्त आराजी में बारानी ग्वारा की फसल काश्त की थी क्योंकि पानी की बारी मृतक श्री गुरदयाल सिंह जी के नाम थी जो कि प्रतिवादी संख्या 1 का मृतक पिता था। इसलिये उक्त रकबा की पानी की बारी अपने नाम बंधवाने हेतु अधिशाषी अभियंता श्री गंगानगर के प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया था जो आज तक जेरकार है। जिसमें तारीख पेशी 09.11.2006 है। विवादित आराजी दिनांक 26.10.2006 को प्रतिवादी संख्या 1 प्रतिवादी संख्या 3 शिवजीत सिंह को 5 लाख 60 हजार रूपये की एवज में बेचान कर दी है और विवादित अराजी का कब्जा दिनांक 26.10.2006 को शिवजीत सिंह को संभला दिया था और शिवजीत सिंह उक्त अराजी में दिनांक 26.10.2006 को तमाम अराजी में ट्रैक्टर के जरिये हल चलाकर कब्जा प्राप्त किया था। वादी विवादित आराजी पर जोर जबरदस्ती से कब्जा करवाना चाहता है जबकि वादी को विवादित आराजी में कानूनन कोई हक हासिल नहीं होता है। वादी ने विवादित आराजी पर कब्जा करने की नीयत से झूठे तथ्यों के आधार पर वाद पेश किया है। जो चलने योग्य नहीं है। मौके पर इस समय शिवजीत सिंह का कब्जा काश्त है और वादी श्रीमान जी के यथास्थिति के आदेश की आड़ में विवादित अराजी पर कब्जा करने की कोशिश में है और लगातार प्रतिवादी संख्या 1 व 3 को विवादित अराजी पर कब्जा करने की धमकियां दे रहा है। इसलिये वादी का अर्जीदावा पत्र खारिज किये जाने योग्य है।

मद संख्या 7 गलत बयानी होने के कारण अस्वीकार है। यह कथन कतई गलत है कि कुछ रोज पूर्व प्रतिवादी संख्या 1 ने सायल को धमकी दी हो और वादी को बेदखल करने की बात कही हो। सही तथ्य इस प्रकार से है कि विवादित आराजी पर वादी का कोई कब्जा काश्त नहीं है। विवादित आराजी दिनांक 26.10.2006 से शिवजीत सिंह के कब्जा काश्त में 5 चली आ रही है और इस समय मौका पर शिवजीत सिंह के कब्जा काश्त में है। जब वादी के पास विवादित अराजी का कब्जा काश्त ही नहीं है तो उससे कब्जा छीनने की व बेदखल करने की बात स्वतः ही झूठी साबित होती है। वादी का विवादित आराजी पर कोई कानूनी अधिकार नहीं है। जबकि प्रतिवादी संख्या 1 व 3 विवादित अराजी के कानूनन हकदार है। प्रतिवादी संख्या 1 विवादित आराजी पर खातेदार है और खातेदार को अपनी आराजी बेचान करने के पूर्ण अधिकार है। प्रतिवादी संख्या 1 ने अपने विधिवत अधिकारों के तहत अपनी आराजी का बेचान शिवजीत सिंह को किया है। इसलिये पृथम दृष्टया मामला प्रतिवादी संख्या 1 व 3 के पक्ष में बनना पाया जाता है। विवादित आराजी पर कभी भी वादी का कब्जा काश्त नहीं रहा है। विवादित आराजी सन 1997 से गुरभगवन्त सिंह प्रतिवादी संख्या 1 के सगे भाई के कब्जा काश्त में रही है।

मद संख्या 8 अस्वीकार है। इस मद का जवाब मद संख्या 2 में दिया जा चुका है। यह मद विनाय दावा कायम करने के लिये तैयार की गई है। मद संख्या 9 कानूनी है स्वीकार है। अर्जीदावा पूर्ण कोर्ट फीस पर अन्दर मियाद पेश नहीं है। अर्जीदावा काबिल समायत अदालतवाला है।

प्रतिवादीगण द्वारा अपनें जबाब दाबा में अतिरिक्त कथन दर्ज किये कि कि दावा पेश करने की दिनांक से विवादित आराजी पर वादी का कोई कब्जा काश्त नहीं था। इसलिये वादी का दावा एव दरखास्त खारिज किये जाने योग्य है। वादी किसी किस्म की स्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्रीगंगानगर

लगातार ..................7

Scanned by CamScanner

विवादित आराजी सन 1997 को प्रतिवादी संख्या 1 को अपने सगे भाई गुरप्रताप सिंह की आराजी के तबादला में तहसीलदार राजस्व श्रीकरनपुर के आदेश से प्राप्त हुई है। इसलिये वादी का यह कथन कि उसका विवादित अराजी पर सन 1990 से काबिज होना स्वतः ही झूठा साबित होता है और 12 वर्ष से अधिक का कब्जा होना भी स्वतः ही झूठा साबित होता है। विवादित आराजी कभी भी वादी के कब्जा काश्त में नहीं रही है। विवादित , आराजी पर सन 1997 से प्रतिवादी के भाई गुरभगवन्त सिंह का कब्जा काश्त रहा है और दिनांक 13.04.2006 गुरभगवन्त सिंह ने विवादित आराजी का कब्जा प्रतिवादी संख्या 1 को सौंप दिया था और दिनांक 13.04.06 से 26.10.06 तक विवादित आराजी प्रतिवादी संख्या 1 के कब्जा काश्त में रही है और बेचान की दिनांक 26.10.2006 से शिवजीत सिंह के कब्जा काश्त में चली आ रही है। यह कि प्रतिवादी संख्या 1 ने अपनी चक 56 एफ में स्थित आराजी जिसका विवरण मद संख्या 3 में दिया जा चुका है वादी के परिवार की पंजाब में स्थित आराजी के बदले में (तबादला में) वादी के परिवार के पक्ष में जरिये रजिस्टर्ड बैयनामा बिना प्रतिफल के दर्ज करवाई थी और विवादित आराजी का तबादला वादी के परिवार के साथ नहीं किया था विवादित आराजी तबादलानामा से बाहर रखी गई थी और विवादित अराजी का तबादला से कोई लेना देना नहीं है। विवादित आराजी का प्रतिवादी संख्या 1 ही वाहिद मालिक है।

यह कि राजस्थान व पंजाब की भूमि का कानूनन आपस में तबादला नहीं हो सकता है इस कारण प्रतिवादी संख्या 1 ने विवादित आराजी के अलावा 17 बीघा 4 बिस्वा चक 56 एफ की आराजी का रजिस्टर्ड बैयनामा बिना प्रतिफल के वादी के परिवार के नाम करवाया है और उक्त रजिस्टर्ड बैयनामा का इन्तकाल वादी के परिवार के नाम दर्ज हो चुका है।

यह कि वादी को दावा एवं दरखास्त पेश करने का कोई कानूनी अधिकार प्राप्त नहीं है। वादी जोर जबरदस्ती से प्रतिवादी संख्या 1 की आराजी पर कब्जा करने की कोशिश में है और इस मकसद में कामयाब होने के लिये उसने झूठे तथ्यों पर दावा एवं दरखास्त पेश की है और श्रीमान जी के यथास्थिति के आदेश की आड़ में वादी विवादित आराजी पर कब्जा करने की कोशिश में है लेकिन प्रतिवादी संख्या 1 व 3 ने वादी को कब्जा करने नहीं दिया है और आज भी कब्जा शिवजीत सिंह के पास हैं। इसलिये अर्जीदावा खारिज किये जाने योग्य है। प्रतिवादी संख्या 1 के नाम विवादित आराजी के अलावा भी अन्य कृषि भूमि चक 56 एफ के साथ चिपते चक 2 एफ एफ ए में कब्जा काश्त में है।

यह कि वादी ने अपने दावा व दरखास्त के संबंध में तबादलानामा पेश नहीं किया है। इसलिये यह नहीं कहा जा सकता कि वादी ने प्रतिवादी संख्या 1 के साथ तबादला किया है। तबादलानामा के सबूत के अभाव में वादी को कोई दावा व दरखास्त पेश करने की लोकोस्टैण्डाई नहीं है। इसलिये दावा व दरखास्त खारिज किये जाने योग्य है।

यह कि चक 56 एफ में वादी के परिवार के अलावा प्रतिवादी संख्या 1 के भाई गुरभगवन्त सिंह, गुरप्रताप सिंह की रिहायश है और चक 56 एफ में प्रतिवादी संख्या 1 के भाई गुरनरेन्द्र सिंह की आराजी है और प्रतिवादी संख्या 1 विवादित आराजी संभालने के लिये अपने भाई बंधुओं के पास आता जाता रहा है।

अतः जवाब दावा पेश कर निवेदन है कि वादी का वाद प्रतिवादी संख्या 1 व 3 के विरूद्ध मय खर्चा खारिज फरमाया जावे।

प्रतिवादीगण द्वारा जबाब दावा प्रस्तुत किये जानें पर पत्रावली का अवलोकन किया जाकर निम्नानुसार तनकीयात कायम की गई :–

1. क्या वादी चक 56 एफ के मुरब्बा नम्बर 64 की 2.023 हैक्टर भूमि का खातेदार काश्तकार उदघोषित करवाये जानें का अधिकारी है ? – – वादी

लगातार .....8

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्रीकरनपुर

Scanned by CamScanner

2. क्या वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण स्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करनें का अधिकारी है ?

3. क्या विवादित भूमि पर वादी का कब्जा काश्त नहीं होनें के कारण उसे खातेदारी अधिकारी नहीं प्राप्त हो सकते ? – – वादी

4. क्या दावा मियाद बाहर है ? – – प्रतिवादी संख्या 1 व 3

5. क्या विवादित भूमि के सम्बंध में विक्रय का ईकरारनामा हो जानें के कारण वाद की सुनवाई का अधिकार इस न्यायालय को नहीं है ? – – प्रतिवादी संख्या 1 व 3

6. अनुतोष – – प्रतिवादी संख्या 2

उक्त तनकियात को सिद्ध करनें हेतु उभयपक्ष द्वार साक्ष्य शपथ पत्र प्रस्तुत किये जाकर दस्तावेजात प्रदर्श करवाये गये उभयपक्ष के विद्धान अधिवक्तागण कर बहस सुनी गई बहस पर मनन किया गया पत्रावली का अवलोकन किया गया बाद अवलोकन वादपत्र का तनकीवार निर्णय निम्नानुसार किया जाता है :–

<u>तनकी संख्या 1 :–</u> क्या वादी चक 56 एफ के मुरब्बा नम्बर 64 की 2.023 हैक्टर भूमि का खातेदार काश्तकार उदघोषित करवाये जानें का अधिकारी है ?

इस तनकी को सिद्ध करनें का भार वादी पर था वादी के सुयोग्य अधिवक्ता द्वारा दौरानें बहस कथन किया कि दोनों पक्षों के पूर्वजों के परिवार में वर्ष 1990 में घरू तबादला किया था और इस तबादला में वादी व वादी के परिवार की चक चिचा व नत्थपुरा में भूमि थी वह भूमि प्रतिवादी संख्या 1 व उसके परिवार को दे दी व इस भूमि के बदले में प्रतिवादी संख्या 1 व उसके परिवार के नाम चक 56 एफ में जो भूमि थी वह भूमि वादी एवम् वादी के परिवार को दे दी। इस तबादला में प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से वाद पत्र के पैरा संख्या 1 में दर्ज चक 56 एफ के मुरब्बा नम्बर 64 के किला नम्बर 1, 10, 11, 12, 19 ता 22 कुल 8.00 बीघा भूमि वादी को दे दी गई थी। और इस तरह वर्ष 1990 से ही इस भूमि पर काबिज चला आ रहा है। और वादी का कब्जा भी आज तक लगातार चला आ रहा है। चुँकि तबादला के आधार पर वादी का लगातार कब्जा होनें से तथा प्रतिवादी द्वारा विवादित आराजी तबादला में वादी को दिये जानें तथा कब्जा भी वादी के पास होनें के कारण वादी खातेदारी अधिकार प्राप्त करनें का अधिकारी है।

प्रतिवादी के अधिवक्ता द्वारा दौरानें बहस कथन किया कि दोनों पक्षकारान का तबादला होना तो स्वीकार है परन्तुयह तबादला वर्ष 1990 में होना स्वीकार नहीं है और इसके साथ वाद पत्र में वर्णित 8.00 बीघा भूमि तबादला में वादी को नहीं दी गई है वादी एवम् प्रतिवादी के पक्षकारान के परिवार में यह तबादला वर्ष 1997 में हुआ था और इस तबादला में यह भूमि शामिल नहीं थी। वर्ष 1990 में यह भूमि प्रतिवादी संख्या 1 की खातेदारी ही नहीं थी।

वादी द्वारा दौरानें साक्ष्य इस तबादला का कोई प्रलेख साक्ष्य पेश नहीं किया गया है और तबादला जुबानी होना बताया है, प्रतिवादी नें वाद के पास चक चिचा व नत्थपुरा में 3–1/2 एकड़ भूमि होना बताया है वादी पंजाब में अपनें नाम से 3–1/2 एकड़ भूमि होना स्वीकार करता है और प्रदर्श 21 ता 25 से 3–1/2 एकड़ होना साबित है इससे अधिक भूमि वादी के पास पंजाब में होना साबित नहीं है। प्रतिवादी वादी की 3–1/2 एकड़ भूमि के बदले में चक 56 एफ में अपनी 17 बीघा 4 बिस्वा भूमि वादी के भाई गुरूसुखपाल व गुरबलपाल के नाम जरिये बैयनामा बिना प्रतिफल लगानें का कथन करता है और यह बिन्दू

लगातार .....9

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्रीगंगानगर

Scanned by CamScanner

प्रदर्श ए–4 से साबित है वादी के भाई के नाम से जो 3–1/2 एकड़ भूमि थी वह प्रतिवादी के भतीजे गुरेन्द्रसिंह व राजेन्द्रसिंह को मिली थी और उसके बदले में गुरेन्द्रसिंह व राजेन्द्र सिंह नें अपनी 9.00 बीघा भूमि वादी के नाम से लगा दी थी और इसका नामान्तरकरण प्रर्दश ए–3 भी वादी के भाईयों के नाम स्वीकृत हो चुका है।

वादग्रस्त 8.00 बीघा भूमि वर्ष 1990 में प्रतिवादी के नाम खातेदारी दर्ज ही नहीं थी वर्ष 1990 में यह भूमि गुरबलजीतसिंह की थी। यह 8.00 बीघा भूमि प्रतिवादी संख्या 1 को गुरबलजीतसिंह से तबादला में वर्ष 1997 में प्राप्त हुई थी और इसका तबादला आदेश तहसीलदार करनपुर के आदेश क्रमांक 1520 दिनांक 29.08.1997 को स्वीकार किया गया था, और इसका नामान्तरकरण संख्या 184 दिनांक 03.02.1998 को स्वीकार हुआ जो प्रदर्श ए–2 के रूप में शामिल पत्रावली है। इससे साबित है, कि वादग्रस्त भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के पास थी ही नहीं तो वर्ष 1990 में प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा तबादला में यह भूमि वादी को देनें का कथन असत्य हो जाता है। प्रतिवादी के गवाह डी.डब्लयू. 2 व डी.डब्लयू. 3 के साक्ष्य से साबित है, कि वादग्रस्त 8.00 बीघा भूमि तबादला में शामिल नहीं थी यह दोनों गवाह प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा अपनी भूम बिना प्रतिफल वादी के भाई को देना स्वीकार करते है।

वादी की और से प्रस्तुत पांचों गवाहान में से कोई गवाह उक्त 8.00 बीघा भूमि तबादला में शामिल होना व वादी को मिलना स्वीकार नहीं करता है वादी द्वारा प्रस्तुत प्रलेख साक्ष्य 22–ए, 24–ए, 26–ए से तबादला वर्ष 1997 में होना साबित है और इस तबादला में वादग्रस्त 8.00 बीघा भूमि शामिल होना व वादी का मिलना साबित नहीं है। वादी के इन प्रलेख साक्ष्यों से और प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत प्रलेख बैयनामा ए–4 से यह तबादला वर्ष 1997 व 1998 में होना साबित है। इस प्रकार वादी के कथन से वर्ष 1990 में तबादला होना व वादग्रस्त 8.00 बीघा भूमि वादी को मिलना साबित नहीं है।

वादी स्वयं स्वीकार करता है, कि राजस्थान की भूमि के बदले में पंजाब की भूमि का तबादला नहीं हो सकता है राजसथान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 48 व 49 के अनुसार एक ही श्रेणी के काश्तकार भू. स्वामी की लिखित सहमती से अपनी काश्तकारी भूमि का तबादला कर सकता है पंजाब की भूमि टैनन्सी की भूमि नहीं है इसलिये कानूनन भी तबादला नहीं हो सकता है।

राजस्व मण्डल नें अपनी सम्पूर्ण पीठ के निर्णय में कृषि भूमि में तबादले से भी खातेदारी अधिकार नहीं मिल सकते है का सिद्धान्त प्रतिपादित किया है सम्पूर्ण पीठ का निर्णय तथा धारा 48 व 49 पर भी निर्णय प्रस्तुत किया गया है।

वादग्रस्त भूमि पर वादी का कब्जा वर्ष 1990 से होना भी साबित नहीं है वादी द्वारा अपनी जिरह में स्वयं स्वीकार किया है कि वादी का कब्जा होनें का कोई रिकार्ड उसके पास नहीं है जब वादग्रस्त भूमि पर वर्ष 1990 में प्रतिवादी संख्या 1 के पास थी ही नहीं तो वादी को सन् 1990 में कब्जा देना भी अपनें आप मे गलत हो जाता है। इस प्रकार तनकी नम्बर 1 का निर्णय वादी के विरूद्ध प्रतिवादीगण संख्या 1 व 3 के पक्ष में किया जाता है।

तनकी संख्या 2 :– क्या वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण स्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करनें का अधिकारी है ?

इस तनकी को सिद्ध करनें का भार वादी पर था तनकी संख्या 1 के निर्णय में वर्ष 1990 में तबादला होना व वर्ष 1990 में वादग्रस्त भूमि का कब्जा वादी को मिलना साबित नहीं होता है तो वादी कोई स्थाई निषेधाज्ञा पानें का अधिकारी नहीं होनें से तनकी संख्या 2 का निर्णय वादी के विरूद्ध प्रतिवादी संख्या 1 व 3 के पक्ष में किया जाता है।

तनकी संख्या 3 :– क्या विवादित भूमि पर वादी का कब्जा काश्त नहीं होनें के कारण वह खातेदारी अधिकारी नहीं प्राप्त हो सकते ?

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्रीगंगानगर

Scanned by CamScanner

इस तनकी को सिद्ध करनें का भार प्रतिवादी संख्या 1 व 3 पर था वादग्रस्त भूमि वर्ष 1990 से प्रतिवादी संख्या 1 के कब्जा में न होकर गुरूप्रताप के कब्जा में होना साबित है वर्ष 1998 में गुरूप्रताप से भूमि प्रतिवादी संख्या 1 को मिलना और प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा भूमि अपनें भाई गुरभगवत सिंह से काश्त करवाना व उसके बाद वर्ष 2010 में शिवजीतसिंह को ईकरारनामा से कब्जा देना साबित है ऐसी सूरत में वादी का कब्जा नहीं होने से तनकी संख्या 3 का निर्णय प्रतिवादी संख्या 1 व 3 के पक्ष में वादी के विरूद्ध किया जाता है।

तनकी संख्या 1 के निर्णय में वर्ष 1990 में तबादला होना व वर्ष 1990 में वादग्रस्त भूमि का कब्जा वादी को मिलना साबित नहीं होता है तो वादी कोई स्थाई निषेधाज्ञा पानें का अधिकारी नहीं होनें से तनकी संख्या 2 का निर्णय वादी के विरूद्ध प्रतिवादी संख्या 1 व 3 के पक्ष में किया जाता है।

तनकी संख्या 4 व 5 :– इन तनकीयात के सम्बंध में कोई बहस नहीं करनें के कारण तनकी नम्बर 4 व 5 का निर्णय प्रतिवादी संख्या 1 व 3 के विरूद्ध किया जाता है।

## – :: आदेश ::–

उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की समायत बहस पर मनन किया गया पत्रावली का अवलोकन किया गया बाद अवलोकन पाया गया कि वादी स्वयं स्वीकार करता है, कि राजस्थान की भूमि के बदले में पंजाब की भूमि का तबादला नहीं हो सकता है राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 48 व 49 के अनुसार एक ही श्रेणी के काश्तकार भू. स्वामी की लिखित सहमती से अपनी काश्तकारी भूमि का तबादला कर सकता है पंजाब की भूमि टैनन्सी की भूमि नहीं है इसलिये कानूनन भी तबादला नहीं हो सकता है।

राजस्व मण्डल नें अपनी सम्पूर्ण पीठ के निर्णय में कृषि भूमि में तबादले से भी खातेदारी अधिकार नहीं मिल सकते है का सिद्धान्त प्रतिपादित किया है सम्पूर्ण पीठ का निर्णय तथा धारा 48 व 49 पर भी निर्णय प्रस्तुत किया गया है।

वादग्रस्त भूमि पर वादी का कब्जा वर्ष 1990 से होना भी साबित नहीं है वादी द्वारा अपनी जिरह में स्वयं स्वीकार किया है कि वादी का कब्जा होनें का कोई रिकार्ड उसके पास नहीं है जब वादग्रस्त भूमि पर वर्ष 1990 में प्रतिवादी संख्या 1 के पास थी ही नहीं तो वादी को सन् 1990 में कब्जा देना भी अपनें आप मे गलत हो जाता है।

इस प्रकार तनकी संख्या 1 व 2 का निर्णय वादी के विरूद्ध तथा तनकी संख्या 3 का निर्णरू प्रतिवादीगण संख्या 1 व 3 के पक्ष में होनें के कारण वाद वादी वर्तमान स्तर पर खारिज किया जाता है।

खर्चा फरीकैन अपना–अपना वहन करेगें। आदेशानुसार पर्चा डिक्री जारी की जावे। पत्रावली निर्णय शुमार होकर बाद तकमील दफ्तर दाखिल हो।

आदेश आज दिंनाक 23-1-19 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्रीगंगानगर (राज.)

(सौरभ स्वामी)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
पदेन सहायक कलक्टर
श्रीगंगानगर

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीगंगानगर

Scanned by CamScanner